



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,

नई दिल्ली 110 016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg

New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

website: www.kvsangathan.nic.in

Date: 20.12.2016

F. 11029-06/2013-KVS/(HQ)/(Admn-1) / Vol-II

OFFICE-ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) vide office-order of even number dated 04.03.2014, conveyed approval of Government of India, for establishing 54 new Kendriya Vidyalayas under Civil Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified and demarcated land and also to give possession of the same to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. **Kendriya Vidyalaya, Khanpur, Distt. Roopnagar, Punjab** is one of these 54 new Kendriya Vidyalayas sanctioned.

Since the land in the matter of Kendriya Vidyalaya, Khanpur, Distt. Roopnagar, Punjab has been transferred in favour of Kendriya Vidyalaya concerned, the sanction of the Commissioner, KVS is hereby conveyed to start this new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with effect from 01.04.2017 in academic session 2017-18 at the following location:-

S.No.	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional at:
1.	Kendriya Vidyalaya, Khanpur, Distt. Roopnagar, Punjab	C/o Power Colony, GGSSTP, Roopnagar, Distt. Roopnagar, Punjab.

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) during the academic year 2017-18 and thereafter will grow consequently based on feasibility.

The admission process may be completed within the time schedule as per extent admission guidelines of KVS.

(S. Vijayakumar)
20/12/16
Joint Commissioner (Admn.)

Distribution:-

1. PS to HRM-cum-Chairman KVS.
2. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MHRD-cum-Deputy Chairman, KVS.
3. Sr. PPS to Additional Secretary (SE), MHRD-cum-Vice-Chairperson, KVS.
4. The Principal Secretary (Education), Govt. of Punjab.
5. PS to Commissioner, KVS.
6. PS to Additional Commissioner (Admn./Acad.), KVS.
7. Joint Commissioner (Trg.), KVS for information w.r.t. his note dated 02.08.2016.
8. Joint Commissioner (Acad.), KVS HQ with the request to issue staff sanction order.
9. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Chandigarh with the request to liaise with the sponsoring authority and make the KV functional w.r.f. 01.04.2017. He is also requested to inform the name of Parliamentary Constituency in which this school fall, for record of this office.
10. The Deputy Commissioner, Distt. Roopnagar, Punjab for information.
11. The Superintending Engineer, KVS w.r.t. F.110111/324/2014-KVSHQ/Works dated 31.05.2016
12. The Deputy Secretary, UT, MHRD for information.
13. Secretary, CBSE 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92.
14. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
15. Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices.
16. Director, all ZIETs, KVS.
17. The Deputy Commissioner (EDP), KVS to upload the order on KVS website.
18. President/Secretary recognized KVS Staff Association
19. Guard File.



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website: www.kvsangathan.nic.in

F. 11029-06/2013-KVS/(HQ)/(Admn-1) / Vol-II

दिनांक: 20.12.2016

कार्यालय आदेश


केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) के दिनांक 04.03.2014 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 54 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है। केन्द्रीय विद्यालय खानपुर, जिला रूपनगर, पंजाब उपरोक्त स्वीकृत 54 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि केन्द्रीय विद्यालय खानपुर, जिला रूपनगर, पंजाब हेतु भूमि का अधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र 2017 -18 में 01.04.2017 से प्रारंभ करने के लिए आयुक्त, के.वि.सं. की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है:-

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	केन्द्रीय विद्यालय खानपुर, जिला रूपनगर, पंजाब	C/o पावर कॉलोनी, जीजीएसएसटीपी, रूपनगर, जिला रूपनगर, पंजाब

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2017 -18 के दौरान प्रारंभ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में 1 सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी कर ली जाए।


(एस. विजयाकुमार)
संयुक्त आयुक्त (प्रशा)

वितरण:

- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
- सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म .एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
- अपर सचिव (स्कूल शिक्षा) मा.सं.वि.म .एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
- प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा), पंजाब सरकार।
- आयुक्त, के.वि.सं के निजी सचिव।
- अपर आयुक्त (प्रशा./शै).के.वि.सं के निजी सचिव।
- संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण), के.वि.सं(मु.) को उनके नोट दिनांक 02.08.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- संयुक्त आयुक्त (शै.) के.वि.सं(मु.) को इस अनुरोध के साथ की वे स्टाफ संस्तुति आदेश जारी करें।
- उपायुक्त, के.वि.सं के.का .चंडीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के.वि .को संचालित करे। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल इस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रिकॉर्ड हेतु इस कार्यालय में भेजे।
- उपायुक्त, जिला रूपनगर, पंजाब को सूचनार्थ ।
- अधीक्षण अभियंता के.वि.सं को उनकी फाइल संख्या F.110111/313/2014-KVSHQ/Works दिनांक 31.05.2016 के संबंध में।
- उप सचिव (यूटी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचनार्थ।
- सचिव, के.मा.शि. बो. 2, कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92 ।
- के.वि.सं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
- उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
- निदेशक, के.वि.सं .समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
- उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
- गार्ड फाइल।